



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062020-219751
CG-DL-E-05062020-219751

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]
No. 271]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2020/ज्येष्ठ 15, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2020/JYAISTHA 15, 1942

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2020

सा.का.नि. 350(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 36 के खंड (ख) के साथ पठित धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों) नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों) संशोधन नियम, 2020 कहा जाएगा।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों) नियम, 2017 की अनुसूची में, -
 - स्तंभ (2) में, क्रम सं. 15 के सामने, "सहायक" शब्दों के लिए "सहायक अनुभाग अधिकारी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (ii) स्तंभ (2) में, क्रम सं. 26 के सामने, “उच्च श्रेणी लिपिक” शब्दों के लिए “वरिष्ठ सहायक” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) स्तंभ (2) में, क्रम सं. 29 के सामने, “अवर श्रेणी लिपिक” शब्दों के लिए “कनिष्ठ सहायक” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. ए-11019/1/2019- प्र. अ.]

रश्मि चौधरी, अपर सचिव

नोट : मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1020(अ) दिनांक 17 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2020

G.S.R. 350(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 read with clause (b) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Administrative Tribunal (Salaries, allowances and conditions of service of the officers and employees) Rules, 2017, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Salaries, allowances and conditions of service of the officers and employees) Amendment Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Administrative Tribunal (Salaries, allowances and conditions of service of the officers and employees) Rules, 2017, in the Schedule, -
 - (i) in column (2), against serial number 15, for the words “Assistant”, the words “Assistant Section Officer” shall be substituted;
 - (ii) in column (2), against serial number 26, for the words “Upper Division Clerk”, the words “Senior Assistant” shall be substituted;
 - (iii) in column (2), against serial number 29, for the words “Lower Division Clerk”, the words “Junior Assistant” shall be substituted.

[F. No. A-11019/1/2019-AT]

RASHMI CHOWDHARY, Addl. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 1020(E), dated the 17th August, 2017.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 697]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2017/श्रावण 26, 1939

No. 697]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2017/SRAVANA 26, 1939

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 1020(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 36 के खंड (ख) के साथ पठित धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों) नियम, 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों) नियम, 2017 है।
(2) ये 1 जनवरी, 2016 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
- परिभाषाएं.**— (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) “अधिनियम” से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) अभिप्रेत है ;
 - (ख) “अनुसूची” से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;
 - (ग) “अधिकरण” से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है।

- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके समनुदेशित हैं।
3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल.**—पद-संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।
 4. **सेवा की शर्तें.**—वेतन, भत्ते, छुट्टी, कार्यग्रहण की अवधि, कार्यग्रहण अवधि वेतन, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, यात्रा भत्ता और छुट्टी यात्रा रियायत, पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदे, चिकित्सीय सुविधाओं और सेवा की अन्य शर्तों के सम्बन्ध में अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को, ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के लेवल यथास्थिति, समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को समय-समय पर लागू होते हैं।
 5. **अवशिष्ट उपबंध.**—अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों संबंधी विषयों, जिनकी बाबत इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, अधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को इसके विनिश्चय के लिए विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
 6. **शिथिल करने की शक्ति.**—केन्द्रीय सरकार को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करने की शक्ति होगी।

अनुसूची

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	छठे वेतन आयोग के अनुसार विद्यमान वेतन वेतन बैंड + ग्रेड वेतन	सातवें वेतन आयोग के अनुसार पुनरीक्षित वेतन वेतन लेवल (वेतन मैट्रिक्स में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रधान रजिस्ट्रार	01	वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु. + ग्रेड वेतन 10000 रु.	लेवल 14 (144200-218200 रु.)
2.	रजिस्ट्रार	09	वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु. + ग्रेड वेतन 8700 रु.	लेवल 13 (118500-214100 रु.)
3.	वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी	01	वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु. + ग्रेड वेतन 8700 रु.	लेवल 13 (118500-214100 रु.)
4.	संयुक्त रजिस्ट्रार	11	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	लेवल 12 (78800-209200 रु.)
5.	ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव	01	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	लेवल 12 (78800-209200 रु.)
6.	उप-रजिस्ट्रार	24	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	लेवल 11 (67700-208700 रु.)
7.	उप लेखा नियंत्रक	01	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	लेवल 11 (67700-208700 रु.)
8.	प्रधान निजी सचिव	16	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	लेवल 11 (67700-208700 रु.)

9.	पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	01	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	लेवल 11 (67700-208700 रु.)
10.	सहायक निदेशक (राजभाषा)	01	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	लेवल 10 (56100-177500 रु.)
11.	अनुभाग अधिकारी/ न्यायालय अधिकारी	88	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु0	लेवल 8 (47600-151100 रु.)
			वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. (चार वर्ष पुरे करने पर)	लेवल 10 (56100-177500 रु.) (चार वर्ष पुरे करने पर)
12.	निजी सचिव	65	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु.	लेवल 8 (47600-151100 रु.)
			वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. (चार वर्ष पुरे करने पर)	लेवल 10 (56100-177500 रु.) (चार वर्ष पुरे करने पर)
13.	लेखा अधिकारी	16	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लेवल 7 (44900-142400 रु.)
14.	कोर्ट मास्टर/ आशुलिपिक श्रेणी 'ग'	69	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लेवल 7 (44900-142400 रु.)
15.	सहायक	55	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लेवल 7 (44900-142400 रु.)
16.	ज्येष्ठ अनुवादक	06	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लेवल 7 (44900-142400 रु.)
17.	सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	10	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लेवल 7 (44900-142400 रु.)
18.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	17	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लेवल 6 (35400-112400 रु.)
19.	कनिष्ठ अनुवादक	13	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लेवल 6 (35400-112400 रु.)
20.	पुस्तकालय और सूचना सहायक	06	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लेवल 6 (35400-112400 रु.)
21.	केयरटेकर	18	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लेवल 6 (35400-112400 रु.)
22.	स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी)	03	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लेवल 6 (35400-112400 रु.)
23.	ज्येष्ठ लेखाकार	03	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	लेवल 5 (29200-92300 रु.)

24.	स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी-I)	18	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	लेवल 5 (29200-92300 रु.)
25.	कनिष्ठ लेखाकार	05	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लेवल 4 (25500-81100 रु.)
26.	उच्च श्रेणी लिपिक	121	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लेवल 4 (25500-81100 रु.)
27.	स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी-II)	15	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लेवल 4 (25500-81100 रु.)
28.	आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	32	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लेवल 4 (25500-81100 रु.)
29.	अवर श्रेणी लिपिक/हिन्दी टंकक	204	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लेवल 2 (19900-63200 रु.)
30.	डाटा एंट्री ऑपरेटर	02	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लेवल 2 (19900-63200 रु.)
31.	स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य श्रेणी)	15	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लेवल 2 (19900-63200 रु.)
32.	गेस्टेटर ऑपरेटर	12	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लेवल 2 (19900-63200 रु.)
33.	फोटकापियर	18	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लेवल 2 (19900-63200 रु.)
34.	सवार हरकारा	07	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लेवल 2 (19900-63200 रु.)
35.	बहु कार्य कर्मचारिवृन्द	419	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लेवल 1 (18000-56900 रु.)

[सं. ए-26011/2/2016-एटी]

श्रीनिवास कटीकिथला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2017

G.S.R. 1020(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 read with clause (b) of section 36 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) and in supersession of the Central Administrative Tribunal (salaries, allowances and conditions of service of the officers and employees) Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the salaries, allowances and conditions of service of the officers and other employees of the Central Administrative Tribunal, namely:—

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Salaries, allowances and conditions of service of the officers and employees) Rules, 2017.

(2) They shall be deemed to have come into force on 01st January of 2016.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985);
 (b) “Schedule” means the Schedule annexed to these rules;
 (c) “Tribunal” means the Central Administrative Tribunal established under sub-section (1) of section 4 of the Act.

(2) The words and expression used and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix.**—The number of posts, their classification, and the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in the Schedule annexed to these rules.

4. **Conditions of Service.**—The conditions of service of the officers and employees of the Tribunal in the matters of pay, allowances, leave, joining time, joining time pay, provident fund, age of superannuation, travelling allowance and leave travel concession, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are from time to time applicable to officers and employees of the Central Government belonging to Group ‘A’, Group ‘B’ and Group ‘C’, as the case may be, of the corresponding Level in the Pay Matrix of officers and employees of the Central Government.

5. **Residuary provision.**—Matters relating to the terms and conditions of service of the officers and employees of the Tribunal with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred by the Tribunal to the Central Government for its decision.

6. **Power to relax.**—The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or category of persons.

SCHEDULE

SI. No.	Name of the post.	No. of posts.	Existing pay as per 6 th CPC Pay Band (PB) + Grade Pay (GP)	Revised pay as per 7 th CPC Pay Level (in Pay Matrix)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Principal Registrar.	01	PB-4, Rs. 37400-67000 + GP Rs. 10000.	Level 14 (Rs. 144200-218200).
2.	Registrar.	09	PB-4, Rs. 37400-67000 + GP Rs. 8700.	Level 13 (Rs. 118500-214100).
3.	Financial Advisor and Chief Account Officer.	01	PB-4, Rs. 37400-67000 + GP Rs. 8700.	Level 13 (118500-214100).
4.	Joint Registrar.	11	PB-3, Rs. 15600-39100 + GP Rs. 7600.	Level 12 (Rs. 78800-209200).
5.	Senior Principal Private Secretary.	01	PB-3, Rs. 15600-39100 + GP Rs. 7600.	Level 12 (Rs. 78800-209200).
6.	Deputy Registrar.	24	PB-3, Rs. 15600-39100 + GP Rs. 6600.	Level 11 (Rs. 67700-208700).
7.	Deputy Controller of Accounts.	01	PB-3, Rs. 15600-39100 + GP Rs. 6600.	Level 11 (Rs. 67700-208700).
8.	Principal Private Secretary.	16	PB-3, Rs. 15600-39100 + GP Rs. 6600.	Level 11 (Rs. 67700-208700).
9.	Library and Information Officer.	01	PB-3, Rs. 15600-39100 + GP Rs. 6600.	Level 11 (Rs. 67700-208700).
10.	Assistant Director (Official Language).	01	PB-3, Rs. 15600-39100 + GP Rs. 5400.	Level 10 (Rs. 56100-177500).
11.	Section Officer/ Court Officer.	88	PB-2, Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4800.	Level 8 (Rs. 47600-151100).
			PB-3, Rs. 15600-39100 + GP Rs. 5400 (on completion of four years).	Level 10 (Rs. 56100-177500) (on completion of four years).
12.	Private Secretary.	65	PB-2, Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4800.	Level 8 (Rs. 47600-151100).

			PB-3, Rs. 15600-39100 + GP Rs. 5400 (on completion of four years).	Level 10 (Rs. 56100-177500) (on completion of four years).
13.	Accounts Officer.	16	PB-2, Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4600.	Level 7 (Rs. 44900-142400).
14.	Court Master/ Steno Grade 'C'.	69	PB-2, Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4600.	Level 7 (Rs. 44900-142400).
15.	Assistant	55	PB-2, Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4600.	Level 7 (Rs. 44900-142400).
16.	Senior Translator.	06	PB-2, Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4600.	Level 7 (Rs. 44900-142400).
17.	Assistant Library and Information Officer.	10	PB-2, Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4600.	Level 7 (Rs. 44900-142400).
18.	Junior Accounts Officer.	17	PB-2, Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200.	Level 6 (Rs. 35400-112400).
19.	Junior Translator.	13	PB-2, Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200.	Level 6 (Rs. 35400-112400).
20.	Library and Information Assistant.	06	PB-2, Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200.	Level 6 (Rs. 35400-112400).
21.	Caretaker.	18	PB-2, Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200.	Level 6 (Rs. 35400-112400).
22.	Staff Car Driver (Special Grade).	03	PB-2, Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200.	Level 6 (Rs. 35400-112400).
23.	Senior Accountant.	03	PB-1, Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2800.	Level 5 (Rs. 29200-92300).
24.	Staff Car Driver (Grade-I).	18	PB-1, Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2800.	Level 5 (Rs. 29200-92300).
25.	Junior Accountant.	05	PB-1, Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2400.	Level 4 (Rs. 25500-81100).
26.	Upper Division Clerk.	121	PB-1, Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2400.	Level 4 (Rs. 25500-81100).
27.	Staff Car Driver (Grade-II).	15	PB-1, Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2400.	Level 4 (Rs. 25500-81100).
28.	Steno Grade 'D'.	32	PB-1, Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2400.	Level 4 (Rs. 25500-81100).
29.	Lower Division Clerk/ Hindi Typist.	204	PB-1, Rs. 5200-20200 + GP Rs. 1900.	Level 2 (Rs. 19900-63200).
30.	Data Entry Operator.	02	PB-1, Rs. 5200-20200 + GP Rs. 1900.	Level 2 (Rs. 19900-63200).
31.	Staff Car Driver (Ordinary Grade).	15	PB-1, Rs. 5200-20200 + GP Rs. 1900.	Level 2 (Rs. 19900-63200).
32.	Gestetner Operator.	12	PB-1, Rs. 5200-20200 + GP Rs. 1900.	Level 2 (Rs. 19900-63200).
33.	Photocopier.	18	PB-1, Rs. 5200-20200 + GP Rs. 1900.	Level 2 (Rs. 19900-63200).
34.	Despatch Rider.	07	PB-1, Rs. 5200-20200 + GP Rs. 1900.	Level 2 (Rs. 19900-63200).
35.	Multi Tasking Staff.	419	PB-1, Rs. 5200-20200 + GP Rs. 1800.	Level 1 (Rs. 18000-56900).

[F. No. A-26011/2/2016-AT]

SRINIVAS KATIKITHALA, Jt. Secy.

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.08.19 16:31:20 +05'30'

RAKESH SUKUL